[illegible]

[illegible] स्थापित किया जाता है तथा सहखातेदार [illegible] से पृथक सर्वेक्षण [illegible] [illegible] बाद अंकित किये किया जाना अपेक्षित समझा है।

:: : आदेश : : :

[illegible] का नाम अंकित [illegible] 8/6, 5/4 राजस्व [illegible] [illegible] जाकर मौजा [illegible] सहखाते [illegible] के [illegible] [illegible] में, 2/1, 386, 384/545, 8/476, 491 में गाटा संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को गाटा संख्या 3 [illegible] [illegible] स्थापित किया जाता है तथा सहखातेदार [illegible] से पृथक [illegible] [illegible] 25.08.2021 के [illegible] प्रस्ताव (नोडी) अनुसार संशोधन किया जाता है [illegible] [illegible], तथा निम्न प्रकार अंकित किये किया जाता है।

गाटा संख्या 1 हरेराम के हक वाद कब्जा कोष्ठ में मौजा [illegible] का खेत खसरा नंबर 2/1 रकबा 3.8507 हेक्टेयर में से 1.5364 हेक्टेयर उत्तरी भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 384/545 रकबा 10.7121 हेक्टेयर में से 6.1564 हेक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 420/578 रकबा 0.3231 हेक्टेयर में से 0.1616 हेक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार अंकित किया जाता है।

गाटा संख्या 2 किशनराम के हक वाद कब्जा कोष्ठ में मौजा [illegible] का खेत खसरा नंबर 2/1 रकबा 3.8507 हेक्टेयर में से 1.5364 हेक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 384/545 रकबा 10.7121 हेक्टेयर में से 6.1564 हेक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 420/578 रकबा 0.3231 हेक्टेयर में से 0.1616 हेक्टेयर उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार अंकित किया जाता है।

गाटा संख्या 3 नारायण के हक वाद कब्जा कोष्ठ में मौजा [illegible] का खेत खसरा नंबर 384 रकबा 0.6500 बीघा भूमि, खसरा नंबर 384/545 रकबा 10.7121 हेक्टेयर में से 2.3500 हेक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.5025 हेक्टेयर में से 1.2500 हेक्टेयर उत्तरी हिस्सा रखा जाकर खातेदार अंकित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 गोपुराम के हक वाद कब्जा कोष्ठ में मौजा [illegible] का खेत खसरा नंबर 491 रकबा 7.5025 हेक्टेयर में से 5.2025 हेक्टेयर दक्षिणी हिस्सा रखा जाकर खातेदार अंकित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 से 3 अपने समुराम में वर्णित है मुआवजा क्षेत्रफल में से प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के नाम कोई बैठ नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार रकबा शून्य जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 08/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर [illegible] सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner